

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक— 875 / 33-1 / दिनांक, सितम्बर 13, 2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:— जनपद जालौन में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने में जनपद जालौन में प्रभावित 4.7727 हे० संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी में प्रभावित 0.006 हे० एवं 0.75 हे० आरक्षित वन भूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधे के पातन अर्थात् कुल 5.5287 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्ष/पौधे के पातन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Water/155109/2022

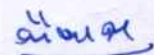
संदर्भ — 1. आपका पत्रांक— 337 / 11-सी / FP/UP/Water/ 155109/2022 , दिनांक 26.07.2022।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक— 780 / 15-1, दिनांक 13.09.2022।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उरई का पत्रांक—450 / 33-1, दिनांक—09.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय झांसी एवं उरई वन प्रभाग ने अपने संदर्भित पत्र द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संस्तुति सहित संशोधित अभिलेख इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं जिनके परीक्षणोपरान्त संशोधित पूरक अभिलेख तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक— 1. पूरक अभिलेख तीन प्रतियों में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक—780/15-1, दिनांक—13.09.2022।
3. प्रभागीय वनाधिकारी उरई का पत्रांक—450/33-1, दिनांक— 09.09.2022।

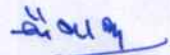
भवदीय


(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या— 875 / समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी एवं उरई वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 780 /15-1

दिनांक, झांसी, सितम्बर 13, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषय:- जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में जनपद जालौन की प्रभावित 4.7727 हे० संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी की 0.006 हे० संरक्षित एवं 0.75 हे० आरक्षित वनभूमि कुल 0.756 हे० वनभूमि के गैर वानिकी कार्य एवं 20 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 5.5287 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु ।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-प्रस्ताव सं० 8B/UP/06/155/2022/FC/280, Date 25.07.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-282/11-सी-FP/UP/Water/155109/2022, दिनांक 26.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा 04 बिन्दुओं की आपत्तियाँ दर्शायी गयी है। जिन्हें पूर्ण कर पूर्ति अभिलेख संलग्न कर संस्तुति सहित प्रस्ताव की 04 प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की 03 प्रतियां संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	प्रस्ताव में कमियाँ	निराकरण
1	As per the Google earth imageries dated 23.05.2018 plantation activity is visible on the proposed CA land area. This needs clarification rectification.	As per raised objection, CA Digital Map, SOI Toposheet and KML file have been prepared as per GPS Coordinates and as per the Google earth imageries dated 23.05.2018 trench of soil work seen no plantation. Proposed land is totally open.
2	NOC from concerned department (NHAI/PWD, etc.) needs to be submitted.	As per the objection raised, NOC from NHAI Department attached and Undertaking for PWD NOC attached.
3	Whether laying of water pipeline is in existing ROWs within the diverted forest area or not? This needs clarification in respect of exemption in CA for area proposed for diversion in Jalaun District.	उक्त बिन्दु जालौन जनपद से सम्बन्धित है।
4	The size of trench for laying of underground pipeline within existing Rows is not mentioned. This needs clarification in respect of exemption in CA area proposed for diversion in Jalaun District.	उक्त बिन्दु जालौन जनपद से सम्बन्धित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 450 / 33-1 / उरई, दिनांक सितम्बर 09 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी।

विषय:-

जनपद जालौन में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने में जनपद जालौन में प्रभावित 4.7727 हे० संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी में प्रभावित 0.006 हे० एवं 0.75 हे० आरक्षित वन भूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधे के पातन अर्थात् कुल 5.5287 हे० वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 8बी/यूपी०/०६/१५९/२०२२/एफसी./२८० दिनांक २५.०७.२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव सं० FP/UP/Water/155109/2022 का में लगायी गयी आपत्ति की आख्या निम्न प्रकार है:-

कसं	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	As per the Google earth imageries date 23-05-2018 plantation activity is visible on the proposed CA land area. This needs clarification rectification.	इस वन प्रभाग में सी०ए० का कार्य प्रस्तावित नहीं है।
2	NOC from concerned departments (NHAI, PWD, etc.) needs to be submitted.	ए०एच०ए०आई० एवं पी०डब्लू०डी० की एन०ओ०सी० प्रस्ताव में संलग्न है।
3	Whether laying of water pipeline is in existing RoWs within the diverted forest area or not? This needs clarification in respect of exemption of CA for area proposed for diversion in jalaun district.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय पत्रांक FC-11/165/2019-FC Date 27-07-2020 के पैरा संख्या 4 (Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFO), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines. General approval is accorded for taking up these projects within RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries' without felling of trees. Approval, in addition to general conditions mentioned above under para 4.1 (except condition "f"), subject to the following specific conditions) के अनुसार सी०ए० में छूट प्रदान की गयी है। जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा छूट का प्रमाणपत्र दिया गया है। संलग्न है।
4	The size of trench for laying of underground pipeline within existing RoWs is not mentioned. This needs clarification in respect of exemption in CA area proposed for diversion in jalaun district.	As per rised objection size of the trench of laying of underground pipeline within existinh ROW is 1×1 m.

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर चार प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप वनसंरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
जालौन, सा०वा० वन प्रभाग उरई।

पृ०सं०-

समदिनांक।

प्रतिलिपि- परियोजना प्रबंधक, वी०जी०सी०सी० कोटा मुस्तिकिल जनपद जालौन को सूचना अभिलेख चार प्रतियों में वन संरक्षक महोदय बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उरई।